सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,

सिद्धार्थनगर—272202 उ0प्र0 (भारत)

Email Id: registrar@suksn.edu.in, Website : www.suksn.edu.in

पत्रांक—703/ कु0स0का0 / सि0वि0वि0 / 2026 दिनांक—18—08—2026

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।

विषय— सेबी द्वारा निवेशक शिक्षा और वित्तीय जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया, उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या—डिग्री विकास / 1288—92 / 2026—27 दिनांक 07 अगस्त, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। (छाया प्रति संलग्न) जिसके द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी – SEBI) के पत्र दिनांक 05 अगस्त, 2026 में सेबी द्वारा निदेशक शिक्षा और वित्तीय जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में संलग्न पत्र के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

18/08/26

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक— /तददिनांकित।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. अधिष्ठाता, समस्त संकाय, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
3. वित्त अधिकारी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
4. परीक्षा नियंत्रक, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
5. निदेशक, आई.क्यू.ए.सी., सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
6. निजी सचिव, कुलपति, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
7. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

कार्यालय शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

पृष्ठांकन संख्या – डिग्री विकास/ 1288-92 /2026 – 27 दिनांक – 07 अगस्त, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस पत्र के साथ संलग्न भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी – SEBI) के पत्र दिनांक 05 अगस्त, 2026 में सेबी द्वारा निवेशक शिक्षा और वित्तीय जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें –

1. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग – 3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से निजी विश्वविद्यालयों को आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र निर्गत करें।
5. तकनीकि सहायक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by
GYAN PRAKASH VERMA
Date: 10-08-2026
12:44:55

डा0 (ज्ञान प्रकाश वर्मा)
संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
कृते शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

SEBI

भारतीय प्रतिभूति
और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange
Board of India

महाप्रबंधक / General Manager
उत्तरी प्रादेशिक कार्यालय /Northern Regional Office

SEBI/NRO-DIV-III/MR/DT/DIS/20584/2026
August 05, 2026

निदेशक, **उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,** **सरोजिनी नायडू मार्ग, सिविल लाइन्स,** **प्रयागराज, उत्तर प्रदेश - 211001**	**The Director,** **Directorate of Higher Education U.P.,** **Sarojini Naidu Marg Civil Lines** **Prayagraj Utter Pradesh - 211001**

महोदय / महोदया,
Sir / Madam,

विषय – सेबी द्वारा निवेशक शिक्षा और वित्तीय जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।
Sub – Investor Education and Financial Awareness programs by SEBI.

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), जिसकी स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा की गई है, और जिसका उद्देश्य निवेशकों के हितों का संरक्षण करना, प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) के विकास का उन्नयन करना तथा उसे विनयमित करना है । वित्तीय समावेशन और नागरिकों/निवेशकों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय शिक्षा महत्वपूर्ण है। तदनुसार, सेबी निवेशकों को जानकारी के साथ निवेश संबंधी निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय शिक्षा और संबंधित जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से उनके सामर्थ्य-निर्माण में सहायता करता है।

   Securities and Exchange Board of India (SEBI), established by an Act of Parliament is mandated to protect the interests of investors, promote the development and to regulate the securities market. Financial education is considered important for promoting financial inclusion and empowerment of citizen/investors. Accordingly, SEBI helps in building capacity of investors through financial education and related awareness programs to enable them take informed investment decisions.

"हम हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करते हैं।"

2. विभिन्न क्षेत्रों में निवेशकों की जानकारी और वित्तीय जागरूकता को बढ़ावा देने की दिशा में, आपके कार्यालयों/विभागों के व्यवस्थित और विविध कार्य के परिवेश को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से तैयार किए गए वित्तीय जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन को प्रस्तावित करते हुए हमें प्रसन्नता हो रही है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य कर्मचारियों के दीर्घकालिक कल्याण के लिए व्यावहारिक वित्तीय ज्ञान प्रदान करना है। यह पहल आपके कार्यालयों/विभागों में कार्यरत कार्मिकों के लिए लाभदायक हो सकती है , क्योंकि इन कार्यक्रमों द्वारा कर्मचारियों की वित्तीय साक्षरता में वृद्धि होगी, सेवानिवृत्ति की योजना (रिटायरमेंट प्लानिंग) बनाने में मददगार होगी, धोखाधड़ी की संभावना कम होगी और वित्तीय रूप से निश्चिंत होकर समग्र उत्पादकता के सुधार में मददगार साबित होगी।

In the direction to promote investor education and financial awareness across various sectors, we are pleased to propose tailored financial awareness programs specifically designed to understanding the structured yet diverse work environments in your offices/ department, these programs aim to provide practical financial knowledge to support long-term employee welfare. This initiative can be particularly beneficial for your offices/ department by enhancing employee financial literacy, leading to better retirement planning, reduced susceptibility to frauds, and overall improved productivity through financial peace of mind.

3. इन सत्रों में इन प्रमुख विषयों जैसे - वित्तीय नियोजन में नवीनतम प्रगति, अवैध तरीके से धन जुटाने की गतिविधियों की पहचान और रोकथाम, प्रतिभूति बाजारों में साइबर धोखाधड़ी का पता लगाना और निवेश संबंधी सुरक्षा को शामिल किया जाएगा। ये कार्यक्रम पूरी तरह से शिक्षण से संबंधित होते हैं। इन कार्यक्रमों में किसी विशेष उत्पाद को बढ़ावा नहीं दिया जाता और ये वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देने पर केंद्रित होते हैं।

The sessions will cover key topics such as the latest advancements in financial planning, identification and prevention of illegal fund-raising activities, cyber fraud detection in securities markets, and safeguarding investments. These programs are strictly educational, product-neutral, and focused on promoting financial security.

4. इस पहल को और आगे ले जाने के लिए हम आपके संस्थान के एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित करने का अनुरोध करते हैं जो सेबी के निम्नलिखित नोडल अधिकारी के साथ समन्वय करेंगे - सुश्री दीपिका ठाकुर, सहायक महाप्रबंधक, फोन नंबर: 011-69012975, मोबाइल नं.: 9971829518, ईमेल: deepikaj@sebi.gov.in ।

To take this initiative forward, we request you to kindly nominate a senior official as the nodal officer to co-ordinate with the following nodal officer from SEBI: Ms. Deepika Thakur, Assistant General Manager, Phone no: 011-69012975. Mobile No. 9971829518, Email: deepikaj@sebi.gov.in.

5. आपसे अनुरोध है कि इस बारे में सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को सूचित करें, ताकि हम इन संस्थानों के साथ कार्यक्रम आयोजित कर सकें। सत्र आपसी सहमति से तय की गई तारीख पर आयोजित किया जा सकता है।

   You are requested to intimate the same to all the Government/Semi-Government/Private Universities/Colleges, to enable us to organize the programs with these institutions. The session may be conducted as per mutually agreed date.

6. उपरोक्त के संबंध में आपका सहयोग अपेक्षित है।

   We are looking forward for your kind co-operation.

भवदीय

Yours sincerely,

भारतेंद्र कुमार गुप्ता

Bhartendra Kumar Gupta